<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u> <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07052021-226914 CG-DL-E-07052021-226914

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1669]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 7, 2021/वैशाख 17, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, MAY 7, 2021/VAISAKHA 17, 1943

No. 1669]

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2021

का.आ. 1796(अ).—समय—समय पर यथा—संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015—2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (वर्ष 1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार अधिसूचना का.आ. सं. 1261(अ) दिनांक 19 मार्च, 2021 में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्द्वारा राजकोषीय वर्ष 2020—21 हेतु आईटीसी (एचएस) 2017 अनुसूची—I (आयात नीति) के अध्याय—7 के एचएस कोड 0713 31 10, 0713 90 10 और 0713 90 90 के अंतर्गत 1.5 लाख मीट्रिक टन उड़द [एसपीपी विग्ना मूंगो (एल) हेप्पर] के आयात हेतु अंतिम तिथि को 30 अप्रैल, 2021 से 15 मई, 2021 तक आगे बढाते हैं।

2. <u>अधिसूचना का प्रभाव</u> : 1.5 लाख मीट्रिक टन उड़द के आयात की अंतिम तिथि को 30 अप्रैल, 2021 से 15 मई, 2021 तक आगे बढ़ाया गया है।

[फा. सं. 14/1/2020-ईपी (एग्री-III)]

दिवाकर नाथ मिश्र, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना सं. 36/2015–2020 दिनांक 17 जनवरी, 2017 को भारत के राजपत्र असाधारण में का.आ. 172(अ) दिनांक 17 जनवरी, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया और का.आ. सं. 3446 दिनांक 1 अक्टूबर 2020 के तहत संशोधित किया गया और इसमें अंतिम संशोधन का.आ. सं. 1261(अ) दिनांक 19 मार्च 2021 के तहत किया गया।

2543 GI/2021 (1)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2021

- **S.O. 1796(E).**—In exercise of powers conferred by section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), read with paragraphs 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government, in partial modification of Notification S.O. No.1261(E) dated 19th March, 2021, hereby extends the last date for import of 1.5 Lakh MT of Urad [Beans of the SPP Vigna Mungo (L.) Hepper] under HS Codes 0713 31 10, 0713 90 10 and 0713 90 90 of Chapter 7 of ITC (HS), 2017, Schedule I (Import Policy), for the fiscal year 2020-21, from 30th April, 2021 to 15th May, 2021.
- 2. **Effect of the Notification**: The last date for import of 1.5 Lakh MT of Urad, is extended from 30th April, 2021 to 15th May, 2021.

[F. No. 14/1/2020-EP(Agri-III)]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

Note: The principal notification No. 36/2015-2020 dated the 17th January, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* S.O. 172(E), dated the 17th January, 2017 and amended *vide* S.O. No.3446 dated 1st October, 2020 and last amended *vide* S.O. No.1261(E) dated 19th March, 2021.